

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, (SDO) बाड़मेर जिला बाड़मेर

नाम पीठासीन अधिकारी :- श्री वीरमा राम आर.ए.एस.

राजस्व आवेदन संख्या :- 244 / 2023

प्रार्थी
तहसीलदार बाड़मेर ग्रामीण

बनाम

अप्रार्थीगण

कुम्भाराम घुनाराम पिसरान जोशाराम अणसी पत्नी
दुर्गाराम गवरी माडू पुत्रियां दुर्गाराम तुलसीदेवी पत्नी
जोशाराम भीयाराम पुत्र लिहमणाराम मंगादेवी पत्नी
लिहमणाराम गोमाराम पुत्र गोमताशाम जेठाराम
शुरजाराम पिसरान लाखाराम भगाराम हरीश पिसरान
खुमाराम भीरोदेवी पत्नी खुमाराम खमाराम पौकरराम
मूलाराम पिसरान धर्मराम जाति जाट निवासी प्रेम
सागर रावतसर तहसील बाड़मेर ग्रामीण जिला
बाड़मेर।

रास्ते सम्बन्धी समस्याओं का निराकरण अधिनियम 2016

राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 अन्तर्गत धारा 131 एवं 132

आदेश

दिनांक :- 20.01.2025

तहसीलदार बाड़मेर के पत्रांक 700 दिनांक 24.06.2023 द्वारा मौजा प्रेम सागर पटवार क्षेत्र रावतसर तहसील बाड़मेर ग्रामीण जिला बाड़मेर में स्थाई रास्ते जो हनुमानसागर डामर से सड़क से रामोणी जाखडों की ढाणी तक सड़क बनी हुई है जिसकी लम्बाई 0.728 कि.मी. है, जो बरंग काला है, जिसे रास्ते के रूप में खातेदार के खाते में राजस्व अभिलेख में दर्ज किये जाने हेतु प्राप्त हुआ है जो वर्तमान में रास्ते के रूप में उपयोग की जा रही है, की किस्म परिवर्तित कर रास्ते के रूप में राजस्व रिकॉर्ड में अंकन करवाने का निवेदन किया साथ ही तहसीलदार बाड़मेर ग्रामीण ने उक्त रास्ते को राजस्व अभिलेख में अंकन करने हेतु अपनी स्पष्ट अभिशंषा की है। मौके पर रास्ता बना हुआ है। इस प्रकार यह प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य होने से स्वीकार किया जाता है।


पटवार मण्डल - रावतसर


तहसील - बाड़मेर ग्रामीण

वर्तमान में जमाबन्दी में अंकित प्रविष्टि							नवीन रास्ते हेतु प्रविष्टि				
क्र. सं.	जीसीएमस पोर्टल पर दर्ज क्रमांक	तहसीलदार बाड़मेर के पत्रांक मय दिनांक	ग्राम का नाम	खसरा नम्बर	कुल रकबा (हेक्टेयर में)	किस्म	खसरा नम्बर	रास्ते में प्रभावित रकबा (हेक्टेयर में)	रास्ते की लम्बाई चौड़ाई (मीटर में)	लम्बाई X चौड़ाई	किस्म जमीन
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13
1	2023/477	700/24.06.2023	प्रेम सागर	1700/390	0.2914	बा.सो.	1700/390	0.2914	728	4	मै.मु. रास्ता

नोट :- तहसीलदार बाड़मेर ग्रामीण तदनुसार राजस्व अभिलेख में अंकन करे तहसीलदार बाड़मेर ग्रामीण द्वारा प्रस्तुत नक्शा आदेश का अभिन्न अंग रहेगा।

आदेश सरे ईजलास में सुनाया गया।


वीरमा राम
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
बाड़मेर


उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
बाड़मेर